

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Memo-----

Dated- 02/03/2017

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.991 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of 4.00 Km long motor road for Kargil Martyr Sri Ramesh Parihar village Dungarpur from Amtora village** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Quarali** and **Nail Gram Panchayat** village in **Bageshwar** Tehsil.

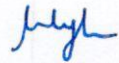
It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.991 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

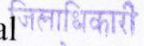
Dated 02/03/2017

Signature



(Mangesh Ghildiyal,)

District Collector

Seal 

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व० कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- नैल
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में स्व० कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण (परियोजना) के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि-0.00 है०, वन पंचायत भूमि-0.00 है०, सिविल सोयम भूमि- 1.231 है०) अर्थात् कुल 1.231 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैल द्वारा दिनांक 28/12/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...डुंगरगाँव (नैल)....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत नैल
ह0/ नैल
ग्राम सचिव
बागेश्वर - उत्तराखण्ड

प्रधान
ग्राम पंचायत नैल भादोली
ह0/ बागेश्वर
ग्राम प्रधान

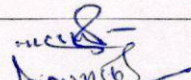
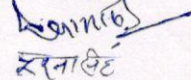
नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6
प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के
गाँव डुंगरपुर हेतु अमृतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 28/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ..नैल.....

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नरामणसिंह परिहार	
2.	खीमसिंह परिहार	
3.	पूरनसिंह	रामसिंह
4.	दिनेशसिंह	
5.	उमेशचन्द जोशी	Omish Chnd
6.	प्रेम बल्लभ जोशी	उमेशसिंह
7.	कचन जोशी	
8.	मोहनसिंह	मोहन सिंह
9.	ठाकुर मेहन	ठाकुर सिंह
10.	नवीन चन्द सिंह	Naveen Chnd
11.	बहादुरसिंह	बहादुर सिंह
12.	बहादुरसिंह	बहादुर सिंह
13.	नन्दनसिंह	नन्दन सिंह
14.	जसवन्तसिंह	जसवन्त सिंह
15.	उमेशसिंह	उमेश सिंह
16.	ठाकुरसिंह	ठाकुर सिंह
17.	दरवानसिंह	दरवान सिंह
18.	ठाकुरसिंह	ठाकुर सिंह
19.	श्रीमसिंह	श्रीमसिंह
20.	कमला देवी	कमला देवी
21.	प्रतापसिंह	प्रताप सिंह

कमला देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत नैल भदोली
विकास खण्ड व जिला-बागेश्वर

1.6
प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के
गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- क्वैराली
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

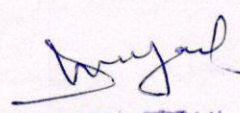
जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण (परियोजना) के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि-0.00 है0, वन पंचायत भूमि-0.00 है0, सिविल सोयम भूमि- 0.760 है0) अर्थात् कुल 0.760 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्वैराली द्वारा दिनांक 28/12/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...बजीगाँव (क्वैराली)....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम सचिव


ग्राम सचिव क्वैराली

चन्द्रशेखर शर्मा
सरपंच

ह0/
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत क्वैराली
बागेश्वर जिला-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के
गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 28-12-016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ..कैराली.....

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	चन्द्रेश्वर भट्ट	चन्द्रेश्वर भट्ट
②	कैलाश चन्द भट्ट	K.G. Bhatt
③	किरण भट्ट	किरण
④	कुंकबीता भट्ट	Kavit Bhatt
⑤	कान्ती बल्लभ भट्ट	Bhatt
⑥	भागीरथी देवी भट्ट	भागीरथी देवी
⑦	पुष्पा भट्ट	पुष्पा

28/12/016
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत कैराली
वि0ख0-बागेश्वर जिला-बागेश्वर

1.6
प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.991 है0 सिविल सोयम वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 1.991 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 24/11/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की बैठक श्री श्याम सिंह राणा, उप जलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री श्याम सिंह राणा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री के0एस0रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्रीमती रेखा देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र, चामा	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में विचार/प्रस्ताव (उपखण्ड) जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.991 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.991 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

1.6
प्रपत्र-30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

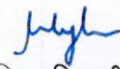
आज दिनांक 02/03/2017 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 24/01/2017 द्वारा स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग के लिए 1.991 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर द्वारा स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग के लिए 1.991 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग के लिए 1.991 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर


जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
बागेश्वर

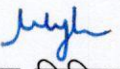
1.6
प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व० कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के
गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित स्व० कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.991 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक- 02/03/2017


(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।